


पृष्ठांकन क्रमांक 2/4264 / वार 12-14/10/पेशान

जबलपुर, दिनांक 23/08/2021

प्रतिलिपि:

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश(समस्त).....
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय(समस्त).....
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर/ववालयर
- ✓ 4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक-3121/21-ब (एक)/2021
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17.08.2021

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म0प्र0)

विषय:- **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.07.2021 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत के भुगतान बाबत।**

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008 ई-11 (बी), दिनांक 13.08.2021 के द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिनांक 01.07.2021 से 164 से बढ़ाकर 189 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक का मंहगाई भत्ता 164 प्रतिशत ही रखा गया है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम 9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय मंहगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही मंहगाई भत्ता/राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम 11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.07.2021 से पेंशन पर राहत 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक का मंहगाई राहत 164 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

- (1) पुनरीक्षित दरों से मंहगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008 ई-11 (बी), दिनांक 13.08.2021 में बताई गई रीति से होगा।
- (2) इस आदेश के तहत देय मंहगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.07.2021 से नगद किया जावेगा।
- (3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सही/-

(गोपाल श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17.08.2021

पृ.फा.क्रमांक-3121/21-ब(एक)/2021

प्रतिलिपि

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर

XXX

XXX

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सही/-

(प्रशांत कुमार)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग